Result Mitra Daily Magazine

1947 के रिफ्यूजी को राहत

✓ हालिया संदर्भ :

- जम्मू-कश्मीर सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों (WPR) को केन्द्र-शासित प्रदेश (जम्मू-कश्मीर) में भूमि पर मालिकाना हक दे दिया है।
- ये जमीन वह है, जिन पर 70 वर्ष पूर्व WPR के पूर्वजों को बसाया गया था।

✓ कौन है WPR ?

- WPR वे हैं, जो भारत-पाकिस्तान के समय पश्चिमी पाकिस्तान से पलायन कर जम्मू-कश्मीर में आकर बस गए थे।
- ये मुख्यतः जम्मू-कश्मीर के कठुआ, राजौरी, जम्मू एवं जम्मू संभाग के क्षेत्रों में निवास करते हैं।
- वर्ष 1947 में उन क्षेत्रों में पाकिस्तान द्वारा किये गए हमलों के बाद लगभग 5764 परिवार जम्मू क्षेत्र आए थे।
- अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन एक्ट 2019 के तहत इन्हें भारत एवं जम्मू-कश्मीर दोनों का नागरिक माना गया।
- दरअसल, जब जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 लागू था, नागरिकता के प्रावधान अलग थे।
- पूर्व में इन्हें भारत की नागरिकता तो प्राप्त थी, लेकिन जम्मू-कश्मीर राज्य (पूर्व में) की नागरिकता प्राप्त नहीं थी।
- ऐसे में 2019 से पूर्व वे मतदान नहीं कर पाते थे।

✓ फैसले का तात्पर्य :

- नए फैसले से पूर्व WPR को जो भूमि प्राप्त थी, उस पर उनका मालिकाना अधिकार नहीं था।
- ये जमीन उन्हें जीवन-यापन करने के लिए दी गई थी, जिन्हें वे अपनी मर्जी से खरीद-बेच नहीं सकते थे।
- नए फैसले से वे जमीन के मालिक कहलाएंगे और उन्हें इसके खरीद-बिक्री का भी अधिकार होगा।
- इस फैसले ने WPR और POK (पाक अधिकृत कश्मीर) से आए रिफ्यूजी के बीच पूर्व का भेदभाव खत्म हो जाएगा।
- POK के विस्थापितों को पहले से जमीन पर मालिकाना हक है।

- इस फैसले से हजारों WPR परिवार को लाभ मिलेगा।
- इसी फैसले के साथ जम्मू-कश्मीर की भूमि से 1965 में विस्थापित होकर आए परिवारों को जमीन का मालिकाना हक प्रदान किया गया।
- 1947 एवं 1971 के भारत-पाक युद्ध के कारण पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए या भारत में विस्थापित हुए परिवारों को पूर्व से जमीन का मालिकाना हक प्राप्त है।
- जब WPR 1947 में जम्मू आए थे, तो उन्हें प्रति परिवार 4 एकड कृषि भूमि आवंटित कर जम्मू-संभाग में बसाया गया था।
- वर्तमान में WPR परिवारों की संख्या 22,170 हो गई है।
- WPR को आवंटित भूमि में से लगभग 50% जम्मू-कश्मीर का है और बाकी का 50% "निष्कासित भूमि" है।
- निष्कासित भूमि से तात्पर्य, उन जमीनों से है, जिन्हें विभाजन के दौरान यहां के मूल मुस्लिमों ने छोडकर पाकिस्तान का रास्ता अपनाया।
- 5764 परिवारों को उस समय 5833 एकड भूमि प्रदान की गई थी।

✓ वित्तीय सहायता योजना :

- केन्द्र सरकार द्वारा जून 2018 मे WPR परिवारों को प्रति परिवार 5.5 लाख की एकमुश्त वित्तीय सहायता देने की योजना शुरू की गई थी।
- 317.02 करोड लागत वाली इस योजना का लक्ष्य 31 मार्च 2021 तक सभी लाभार्थियों को कवर प्रदान करना था।
- तत्कालीन समय में 2018-19 एवं 2019-20 में जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा प्रमाणित प्रस्ताव नहीं दिए जाने से योजना को मार्च 2024 तक के लिये बढा दिया गया।
- रिपोर्ट के अनुसार 1947 में पंजीकृत 5764 परिवारों में से केवल 1890 परिवारों को ही लाभ प्राप्त हुआ है।

Result Mitra